

2018/00259

260/18  
27.6.18

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चौहटन  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खाली

---आदेश:---

प्रार्थी के "खाता वसूली" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मवाबला काठान व भूअ.नि. खाली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सेख नायब तहसीलदार को अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खाली तहसील खाली जिला खाली की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2074 में खाता संख्या 12 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
0	<u>खाली</u>	12	<u>अब्दुल गनी पुत्र रत्ना</u>	<u>गनी पुत्र रत्ना</u>



पीठासीन अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**चौहटन**  
पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेख को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री खाली को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**चौहटन**  
पदेन सहायक कलक्टर